

किरायेनामा

अवधि 30 वर्ष 01-04-2021 से 31-03-2051 ई0 तक
औसत वार्षिक किराया 16,000/- रु0
प्रदत्त स्टाम्प 1920/- रु0 (01 शीट)

हम कि अभिवेक पुत्र योगेश बौद्ध नि0 ग्राम व पो0 रोदनगली तहसील हसनपुर जिला अमरोहा - प्रथम पक्ष/स्वामी आराजी-म-एन0टी0 मजलिज आफ फार्मसी रोदनगली तहसील हसनपुर जिला अमरोहा द्वारा अग्रदा शोमती इन्देरा बौद्ध पत्नी श्री योगेश बौद्ध निवारणी ग्राम व पो0 रोदनगली तहसील हसनपुर जिला अमरोहा - द्वितीय पक्ष/किरायेदार है।

जोकि प्रथम पक्ष एक किला आराजी आयादी जिसके कुछ भाग में इगारत बनी हुई है जिसकी सफरील इस किरायेनामे के अन्त में वर्णित है स्थित ग्राम रोदनगली पो0 रोदनगली परगना व तहसील हसनपुर जिला अमरोहा का स्वामी है जोकि हर प्रकार के भार, रहन आदि से भाक व साफ है और जिसमें प्रथम पक्ष के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भी भागीदार नहीं है अर्थात यह भवन हर प्रकार से भाक व साफ है।

द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष का निम्नलिखित सम्पत्ति जिसकी सफरील इस किरायेनामे के अन्त में वर्णित है को फार्मसी कालिज चलाने हेतु 30 वर्ष के लिए यानि दिनांक 01-07-2022 से 31-06-2052 ई0 तक के लिए अंकन 12,000/- (बारह हजार रुपये) वार्षिक किराये पर निम्नलिखित शर्तों के अर्तगत किराये पर लिया है जिसके दोनो पक्ष पाबन्द व वाच्य रहेंगे।

स्वीकार्य



अवधि 30 वर्ष 01-07-2022 से 30-06-2052 ई0 तक
औसत वार्षिक किराया 78,000/- रु0
प्रदत्त स्टाम्प 9400/- रु0 (01 शीट)

एन कि अभिवेक पुत्र योगेश बौद्ध नि0 ग्राम व पो0 सैदनगली तहसील हसनपुर जिला अमरोहा - प्रथम पक्ष/स्वामी आराजी (मकान) व एन0टी0 कालिज आरा फार्मसी सैदनगली तहसील हसनपुर जिला अमरोहा द्वारा अध्यक्ष श्रीमती इन्द्रेस बौद्ध पत्नी श्री योगेश बौद्ध निवासी ग्राम व पो0 सैदनगली तहसील हसनपुर जिला अमरोहा - द्वितीय पक्ष/किरायेदार है।

जोकि प्रथम पक्ष एक कित्त आराजी आबादी जिसके कुछ भाग में इमारत बनी हुई है जिसकी तफसील इस किरायेनामे के अन्त में वर्णित है स्थित ग्राम कसनपुर पो0 सैदनगली परगना व तहसील हसनपुर जिला अमरोहा का स्वामी है जोकि हर प्रकार के भार, रहन आदि से पाक व साफ है और जिसमें प्रथम पक्ष के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भी भारीदार नहीं है अर्थात यह नवन हर प्रकार से पाक व साफ है।

द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नलिखित सम्पत्ति जिसकी तफसील इस किरायेनामे के अन्त में वर्णित है उसे फार्मसी कालिज चलाने हेतु 30 वर्ष के लिए यानि दिनांक 01-07-2022 से 30-06-2052 ई0 तक के लिए अंकन 60,000/- (साठ हजार रुपये) वार्षिक किराये पर निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत किराये पर लिया है जिसके दोनों पक्ष पाबन्द व बाध्य रहेंगे।



10
D

30/07/22